भारत सरकार

प्रेस सूचना ब्यूरो

प्रेस नोट

विषयः–राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2010–लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के संबंध में ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 अप्रैल, 2010 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2010 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर 30 दिसम्बर, 2010 से आरंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 125 वें पाठ्यक्रम तथा नौसेना अकादमी के 45 वें पाठ्यक्रम 10+2 (कार्यकारी शाखा) में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है ।

2. इस सूची में जिन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक दर्शाए गए हैं उन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है । परीक्षा में उनके प्रवेश की शर्तों के अनुसार आयु तथा शैक्षिक योग्यता संबंधी उन्हें अपने मूल प्रमाण–पत्र सीधे "अपर भर्ती महानिदेशक, एडजुटेंट जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना), वेस्ट ब्लॉक नं0 III, विंग नं0 I , आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066", को भेजने होंगे । उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण–पत्र संघ लोक सेवा आयोग को कदापि न भेजें । किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच आयोग के गेट–'सी' के पास सुविधा काउन्टर से स्वयं आकर या दूरभाष संख्या 011–23385271/011–23381125/011–23098543 पर संपर्क कर सकते हैं । परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **http://www.upsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है ।

3. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं की है उनके अंक–पत्रक इस परिणाम के प्रकाशन के तीस दिनों के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे । उम्मीदवारों को अंक–पत्रक अनुक्रमांक और जन्मतिथि अंकित करने के उपरान्त ही मिलेंगे । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों को मुद्रित प्रति तभी भेजी जाएगी जब उम्मीदवारों से डाक टिकट लगे स्वपता लिखे लिफाफे सहित ऐसा विशिष्ट अनुरोध आयोग को प्राप्त होगा । अंक–पत्रक की मुद्रित प्रति प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसा अनुरोध आयोग की वेबसाइट पर अंकों के प्रदर्शन के तीस दिन के अंदर करना चाहिए, इसके बाद ऐसे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

क्रमशः पृ.2/–

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा भवनों के परिसर में मोबाइल फोन तथा इसी प्रकार के अन्य आई टी गैजेट्स पर प्रतिबंध है ।